शिक्षा विभाग

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण

(प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा)

उर्वशी सिनेमा रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा, हरिवाटिका शाखा के सामने, बेतिया।

E-mail-ssawchamparan@gmail.com

पत्रांक: / दिनांक:

पश्चिम चम्पारण जिला के सभी 18 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के कय हेतु उनके पैकेजों की न्यूनतम दर निर्धारण हेतु खुली निविदा आमंत्रण –

1. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् पटना के पत्रांक **KGBV/52/2019-20/981** दिनांक 20.02.2023 एवं पत्रांक **KGBV/52/2019-20/2506** दिनांक 27.04.23 के आलोक में पश्चिम चम्पारण जिले के सभी 18 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का कय जिला स्तरीय कय समिति द्वारा किया जाना है। कय किये जानेवाली सामग्रियों को उनकी उपयोगिता के अनुसार विभिन्न पैकेजों में वर्गीकृत किया गया है। उक्त पैकेजों का न्यूनतम दर निर्धारण के लिए खुली निविदा आमंत्रित गयी है। निविदा की सामान्य शर्तें निम्न प्रकार है –
2. निविदा दाता को द्वि–लिफाफा पद्धति के अनुसार तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा के अन्दर रखकर सीलबन्द करने के उपरांत तीसरे एक बडे लिफाफे में डालकर जिला स्तरीय कार्यालय में सिर्फ निबंधित डाक से समर्पित करना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक लिफाफा के उपर पैकेज का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा। तकनीकी निविदा में सफल पाये जाने पर हीं वित्तीय निविदा खोली जायेगी। वित्तीय एवं तकनीकी निविदा एक साथ लिफाफे में पाये जाने पर, उसपर विचार नहीं किया जायेगा।
3. किसी भी निविदादाता के द्वारा एक के.जी.बी.भी./एक से अधिक के.जी.बी.भी./सभी के.जी.बी.भी. के लिए निविदा समर्पित किया जा सकता है।
4. किसी भी निविदादाता के द्वारा एक पैकेज/एक से अधिक पैकेज/सभी 7 पैकेज के लिए निविदा समर्पित किया जा सकता है।
5. प्रत्येक पैकेज की निविदा के साथ अग्रधन की राशि से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। पैकेजवार टर्न ओवर एवं अग्रधन की राशि निम्नवत है –

कम सं०	पैकेज सं०	पैकेज का विवरण	अग्रधन की राशि (प्रति के.जी.बी.भी.)	वार्षिक टर्न ओवर की राशि
01	01	खाद्य सामग्री	5000/–	3,00,000/–
02	02	पोशाक	3000/–	3,00,000/–
03	03	दैनिक उपयोग की वस्तु	3000/–	1,50,000/–
04	04	स्टेशनरी	3000/–	3,00,000/–
05	05	बर्त्तन	4000/–	4,00,000/–
06	06	इलेक्ट्रीक (विद्युत) सामग्री	5000/–	3,00,000/–
07	07	फर्निचर/बेडिंग	4000/–	4,00,000/–

6. निविदादाता एक से अधिक के.जी.बी.भी. में अपनी निविदा दे सकते है बशर्ते प्रत्येक के.जी.बी.भी. के लिये अग्रधन की राशि पैकेजवार अलग–अलग संलग्न करना होगा।
7. अग्रधन की राशि का डिमांड ड्राफ्ट ***BEP-GOB West Champaran*** के नाम से देय होगा।
8. निविदादाता को ट्रेड अनुज्ञप्ति (वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण–पत्र) की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। बिहार राज्य से बाहर के निविदादाता को उसे बिहार में वाणिज्य कर निबंधन प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को विगत तीन वित्तीय वर्ष 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 का आयकर रिटर्न की प्रति एवं पैन कार्ड को स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
10. निविदा दाता को पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) का औसतन वार्षिक टर्न ओवर 50 लाख या इससे अधिक का होना अनिवार्य है। सत्यापन के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा ऑडिटेड प्राफिट एवं लॉस और बैलेंस शीट संलग्न करना होगा। निविदा दाता एक साथ सभी 7 पैकेज के लिए 50 लाख या उससे अधिक का टर्न ओभर का कागजात या अलग–अलग पैकेज के लिए निर्धारित टर्न ओभर का कागजात संलग्न कर उस पैकेज विशेष के लिए निविदा दे सकते है।
11. खाद्य सामग्री (पैकेज सं० 1) की आपूर्ति हेतु इच्छुक निविदादाता को **FSSAI/**एगमार्क (खाद्य अपमिश्रण अद्यतन प्रमाण–पत्र) का सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा। निविदादाता को आवासीय विद्यालय अथवा सरकारी क्षेत्र के किसी अन्य संस्थान में खाद्य सामग्री आपूर्ति का अनुभव होना चाहिये।
12. पोशाक आपूर्ति हेतु दर निर्धारण के लिए अच्छी गुणवत्ता, निर्धारित पोशाक का रंग एवं न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी जायेगी। निविदादाता को आवेदित प्रत्येक प्रखण्ड के लिए अलग–अलग नमूना उपस्थापित करना होगा।

शिक्षा विभाग
कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण
(प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा)
उर्वशी सिनेमा रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा, हरिवाटिका शाखा के सामने, बेतिया।
E-mail-ssawchamparan@gmail.com

पत्रांक: / दिनांक:

13. निविदादाता को केन्द्र पर आपूरित की जाने वाली खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग सामग्री की एक्सपायरी डेट (**Expiry Date**)) न्यूनतम छः माह बाद होनी चाहिए।
14. निविदादाता को सामग्रियों की दर के.जी.बी.भी. में पहुचाने हेतु परिवहन शुल्क एवं सभी कर सहित अंकित करना होगा एवं सामग्री की कंपनी/मार्का भी अंकित करना होगा।
15. निविदादाता द्वारा किसी भी एक शर्त्त का पालन नहीं करने पर एवं आवश्यक कागजात निविदा के साथ संलग्न नहीं करने पर उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में सामग्रियों के अंकित मूल्य से अधिक दर नहीं होना चाहिये।
16. निविदादाता को 10 रू० के नन जुडिसियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि कि उन्हे बी.ई.पी. अथवा किसी भी सरकारी संस्था द्वारा विवादित अथवा काली सूची में नहीं डाला गया है। पश्चिम चम्पारण अन्तर्गत संचालित के.जी.बी.भी. में आपूर्ति नहीं करने/बाधित आपूर्ति के लिए जिस प्रतिष्ठान को पूर्व में कार्य करने से रोका गया है, वैसे प्रतिष्ठान इस निविदा की प्रकिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।
17. निविदादाता को यह भी प्रमाण–पत्र देना होगा कि उनके द्वारा के.जी.बी.भी. या अन्य किसी सरकारी आवासीय विद्यालय/संस्थान में सामग्री आपूर्ति करने का कार्यानुभव है।
18. निविदा की अंतिम तिथि सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस तक निविदा स्वीकार की जायेगी।
19. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को सामग्रियों के पर्याप्त नमूना के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य है।
20. अधिकृत निविदादाता को आपूर्ति आदेश के साथ किसी भी प्रकार की राशि अग्रिम के रूप में भुगतान नहीं होगी। सामग्री की गुणवत्ता, विशिष्टता के साथ न्यूनतम दर को प्राथमिकता दी जायेगी। सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टता निर्धारित करने की शक्ति जिला स्तरीय के.जी.बी.भी. कय समिति के पास होगी।
21. पोशाक के मामले में संबंधित कस्तुरबा विद्यालय में दर्जी रखकर बच्चियों की मापी के अनुसार सिलाई कराना होगा। साथ हीं कार्यादेश निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर पोषाक उपलब्ध कराना होगा।
22. भुगतान की कार्रवाई आपूरित सामग्री एवं उसके नमूना से मिलान के पश्चात संबंधित के.जी.बी.भी. के द्वारा किया जायेगा।
23. सफल निविदादाता को खाद्य सामग्री की आपूर्ति कय आदेश निर्गत की तिथि से 7 दिन एवं अन्य सामग्रियों के लिए कय आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अन्दर आपूर्ति की जानी होगी। ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं किये जाने की स्थिति में 1000/– एक हजार रू० प्रतिदिन के दर से विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया जायेगा जिसकी कटौती संबंधित के.जी.बी.भी. द्वारा आपूर्तिकर्त्ता के भुगतान की राशि में से की जायेगी।
24. यदि कोई निविदादाता आपूर्ति आदेश स्वीकार करने के उपरांत निर्गत कय आदेश की तिथि से एक माह के पश्चात भी सामग्री की आपूर्ति नहीं करता है अथवा सामग्री आपूर्ति करने से इन्कार कर देता है तो वैसी परिस्थिति में उक्त आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुये अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकेगी।
25. आपूतिकर्त्ता द्वारा वस्तुओं/सामग्रियों/सामानों/पोशाक आदि के उद्धृत दर तथा उन सामग्रियों का बाजार मूल्य में अत्यधिक विचलन (सामान्य बाजार मूल्य से अत्यधिक कम अथवा अधिक) नहीं होना चाहिए।
26. निर्धारित नमुने के अनुसार तथा ससमय सामग्री आपूर्ति नहीं होने पर अग्रधन राशि जब्त कर ली जायेगी एवं बाजार मूल्य से खरीदने पर उसकी अन्तर राशि का भुगतान संबंधित प्रतिष्ठान को करना होगा।
27. अधोहस्ताक्षरी के पास निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत एवं इस निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
28. अगर L1 दर वाले निविदाकर्त्ता किसी कारणवश जैसे कि गुणवत्ता खराब रहने के कारण अथवा समय से सामग्री आपूर्ति नहीं करने के कारण असफल रहते हैं तो अगर L2 निविदाकर्त्ता L1 के दर पर सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राजी रहते हैं तो, उन्हे भी कार्यादेश निविदा समिति के सहमति से निर्गत किया जा सकता है।
29. निविदा संबंधी शर्त्तें तथा पैकेजवार सामग्री की विवरणी कार्यालय अवधि में निर्धारित तिथि तक कार्यालय से हाथों–हाथ प्राप्त किया जा सकता है अथवा इसे विभागीय वेबसाईट **WWW.SSAWESTCHAMPANAN.ORG** से डाउनलोड किया जा सकता है।

सचिव–सह–	सदस्य–सह–	अध्यक्ष–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,	जिला शिक्षा पदाधिकारी,	उप विकास आयुक्त,
समग्र शिक्षा, पश्चिम चम्पारण।	पश्चिम चम्पारण, बेतिया।	पश्चिम चम्पारण, बेतिया।